THE BUDGET (GENERAL) 1980-81

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAGANNATH PAHADIA); Sir, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) of the estimated receipts and expenditure of the Government of India for the year 1980-81.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 1979-80

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAGANNATH PAHADIA); Sir, I also lay on the Table a statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants (General) for the year 1979-80.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Atrocities committed against persons belonging to Scheduled Castes and Backward Classes with particular reference to the recent incidents in Narainpur. parasbigha and Pipra—*contd.*

श्री हरकिशन सिंह सुरजीत (पंजाब): यह दर्दनाक घटनाएं हैं, इनके बारे में कोई भी इन्कार नहीं कर सकता। पारसबीघा और पिपरा में एक गांव में बारह बेगुनाह जाने चली गई और दूसरे में चौदह और उनमें बच्चे भी थे, औरतें भी और उनको किन्होंने मार दिया, यही नहीं कि लैंडलाडर्स ने गांव को घेरा और उन्होंने उनको जान से मार दिया, मवेशियों को मार दिया, घर जला दिये। यह दर्दनाक घटनायें हैं। कोई आदमी इससे इन्कार नहीं कर सकता और यह बार-बार हमारे देश में और कुछ प्रान्तों में खास तौर से हो रही हैं। इसके बारे में यह कहना मुनासिब नहीं कि आंकड़े देकर साबित करने की कोशिश की जाय कि पहले ज्यादा होता था। यह घटना को कम करके दिखाने की बात है। मुझे याद है कि जब पहले पिछले से पिछले साल ऐसी बात हुई थी तब चौधरी चरण सिंह होम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी आंकड़े दे कर साबित करने की कोशिश की थी और उसको कम कर के दिखाने की कोशिश की। यह उस पार्टी का जिस के हाथ में राज-सत्ता है, उन घटनाओं को इस ढंग से कम करके नहीं दिखाना चाहिए। इसको सिर्फ राजनतिक पहलू से ही नहीं देखना चाहिए। असल में, अगर घटनाओं को देखें, तो यह स्पष्ट हो जायगा कि इनमें या तो लैंडलार्डस का हाथ है या पुलिस वालों का। यह भी देखने में आया है कि राज्यों में जमींदारों और नौकरशाही और पुलिस में मिली भगत है, जिसकी वजह से लगातार खेत मजदूरों और हरिजनों पर दमन होता है और उन की सुनवाई नहीं होती और अगर हम उस के कारण में नहीं जायेंगे तो उसका हल भी नहीं ढूंढ पाऐंगे और उस में यह कहना या डिफेन्ड करना भी गलत है कि इस पार्टी का हाथ है या उस पार्टी का है। वाइस-चयरमैन साहब, मैंने पहले भी यह कहा था कि यह समझ लेना चाहिये कि लैंडलार्ड्स के लिये कोई पार्टी नहीं होती। जब भी उन को जरूरत पड़ती है, अपने हितों की रक्षा के लिये जो भी पार्टी राज सत्ता में आती है वे उसी का बुरका ओढ़ लेते हैं। जब जनता पार्टी ताकत में आई तो लैंडलार्ड्स बहुत जोश के साथ जनता पार्टी का बुरका ओढ़ कर बैठ गये। इसलिये ऐसी बात कह कर कांग्रेस पार्टी को डिफेन्ड नहीं करना चाहिये। क्योंकि इसके पीछे इतिहास है कि इतने बरस हो गये देश को

[श्री हरकिशन सुरजीत]

आजाद हुए। कांग्रेस पार्टी का केन्द्र में ज्यादा अरसे के लिये राज रहा और राज्यों में भी राज रहा, तब फिर इस समस्या का हल क्यों नहीं हुआ है। लगातार ऐसी बातें क्यों हो रही है। यहां पर जो घटनाएं हुई उनका कारण क्या है? कारण है कि एक जगह पर जमीन का झगड़ा है---अगर इस बात में आप जाऐंगे---तो जमीन का झगड़ा उस दिन से शुरू नहीं हुआ, वह तीन वर्ष से जारी था। उस समय से जारी था जब पहले जनता सरकार नहीं बनी थी हालांकि उस समय भी जारी रहा। जब जनता सरकार थी तब भी जारी था और अब भी जारी है जब कांग्रेस की सरकार है। बिहार के बारे में तो यह किसी को संदेह नहीं होना चाहिये कि बिहार में अभी तक कितने ही जमीन सुधार के कानून भी बने फिर भी जमींदारों ने गलत नामों पर हजारों एकड़ जमीन हथिया रखी है आज तक और वे न बटाईदार को जमीन पर कब्जा देते हैं न खेत मजदूरों को कुछ देते हैं। इतनी धांधली है। यह दो वर्ष का काम नहीं है, पिछले कई वर्ष का काम है। उनको उजरत देने की बजाय यह कहा जाय कि आप को ढाई किलो ही अनाज हफ्ते में मिलेगा, उसके ऊपर सब पार्टियों को जो उनका नाम लेते हैं, शरम करनी चाहिये। यह बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है और उसी बात पर जमींदारों ने इकट्ठा हो कर इतना दमन किया कि इससे देश भर में हैजान पैदा होना चाहिये था। इसमें पार्टी का सवाल नहीं था जो अपने आप को कहती है कि हम गरीबों की रक्षा के लिये काम करेंगे तो हमें सभी को आवाज उठाना चाहिये ताकि आइंदा के लिए यह मालूम हो जाए कि ऐसी घटना फिर न हो। जो कोई पार्टी उस मुजरिम को पनाह देती है, वह उन गरीबों का समर्थन हासिल नहीं कर सकती।

दूसरी घटना हुई उजरत के सवाल पर। पहले जमीन के सवाल पर, फिर उजरत के सवाल पर और उस सवाल पर कितना अत्याचार हुआ, उसके बारे में पत्रकारों ने बहुत कुछ लिखा। नारायणपुर की घटना हुई। आज भी, आजादी के इतने वर्षों बाद भी पुलिस को यह हिम्मत है कि बस वालों ने रुपया दिया, तो उस को हजम कर लिया। पोस्ट मार्टम के लिये कहा कि 25 रु० दो तब पोस्ट मार्टम होगा और उसके बाद जो पुलिस ने धांधली की, वहां की पुलिस ने---उसके नजदीक के दूसरे थाने की पुलिस ने---वह क्या नहीं किया? और उस के ऊपर जो उत्तर प्रदेश की आर्म्ड कांस्टेबुलरी पुलिस है, वह बहुत मशहूर है। जमींदारों पर ऐसी धांधली नहीं हो सकती, गरीबों पर ही ऐसी धांधली हो सकती है। ये समस्यायें लगातार चली हैं। यह एक दिन का मामला नहीं है, न यह किसी पार्टी का मामला है। मैं कह सकता हूं इस सवाल में अगर पारसबीघा की बात को देखें और नजदीक के गांव में क्या हुआ. अगर बिहार में उस की जांच की जाय तो मालूम होगा कि पार्टी का प्रश्न नहीं है, लैंडलार्ड सब इकट्ठे हैं चाहे वे जनता पार्टी के हों, लोक दल के हों या कांग्रेस पार्टी के हों। गरीबों में डर है। उन के प्रोटेक्शन के लिये कोई दूसरा आदमी नहीं है। खवाह कांग्रेस पार्टी की सरकार थी या जनता पार्टी की, हथियारों के इतने लाइसेंस कहां से आये। अब भी उन के पास मौजूद हैं। यह बात नयी नहीं है... (*Interruptions*)

SHRI R. L. NAIK: Communist Party also.

श्री हरकिशन सिंह सुरजीत : अगर आप एक आदमी बतायेंगे तो कल ही हम उस को खारिज कर देंगे। आप जिम्मा लीजिये अपनी पार्टी का। हमारी पार्टी का एक भी आदमी हरिजनों के खिलाफ अत्याचार में शामिल हो तो हम उस को निकाल कर ही सदन में पहुचेंगे I take this responsibility. हमारी पार्टी में यह नहीं है। कितना ही बड़ा से बड़ा आदमी क्यों न हो, जो मजदूर के खिलाफ जायेगा, जो खेत मजदूर के खिलाफ जायेगा उसके लिये जगह नहीं होगी। मैं यह कह रहा था कि 169 में होम मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट तैयार की जब बिहार में बहुत सी ऐसी बातें शुरू हुई सोशल टेंशन्स के बारे में। उस में कारण दिये गये थे और बताया गया था कि वे घटनायें क्यों हो रही हैं। उस समय कांग्रेस पार्टी का राज चल रहा था। जमीन का सवाल आया, उजरतों का सवाल आया। होम मिनिस्ट्री की रिकमेंडेशन थी कि इन सवालों का हल किये बिना आप इन की कठिनाइयों को दूर नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक वह सवाल हल नहीं हुए? अब अगर इसके लिए इरादा हो तो जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम पूरा सहयोग देंगे। हम यह कहना चाहते हैं कि असल में बुनियादी बात यह है कि यह साधारण बात नहीं है, बल्कि जरूरी बात यह है कि उन का सोशल, आर्थिक समस्याओं को हल किया जाना चाहिये। उस के बारे में तो मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि उस के लिये हम रिव्यू करें। बिहार को ले लीजिये। उस के बारे में होम मिमिस्ट्री रिव्यू करे कि किस हद तक उन को समस्यायें हल करने की कोशिश की गयी तो मालूम हो जायेगा कि अभी तक क्या हुआ। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ये घटनाएं कभी आप ने सुनीं पश्चिमी बंगाल में और केरल में? वहां क्यों नहीं होती? उस का जवाब यही है कि जो डेडीकेटेड हैं उन के लिए इस किस्म का लिहाज नहीं है। वहां ये घटनाएं नहीं होतीं। उस जगह ये घटनाएं होती हैं जहां पार्टी का सवाल नहीं है, जहां जमींदारों का पक्ष लिया जाता है, वहां ये सवालात उठते हैं। मेरा कहना यही है कि इन सवालों को हल करने के लिये पहले उन के बुनियादी सवालों को हल करना होगा। अगर हमारे देश के अलग-अलग प्रान्तों से रिपोर्ट आये तो मालूम होगा कि दो रुपये दिन की उजरत है, तीन रुपये दिन की उजरत है, अभी बिहार और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। दो रुपये में कैसे आदमी गुजर कर सकता है। इन सब बातों के होते हुए अभी भी दमन और सब चीजें जारी हैं।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ दो-तीन बातें पूछना चाहता हूं मिनिस्टर साहब से। एक तो यह बात है कि क्या वे यह कदम लेने के लिये तैयार हैं जितने जागीरदार-जमींदार हैं उन के और उन के गुंडों के लाइसेंस फौरन जब्त कर लिये जायें? क्या आप यह करने के लिये तैयार हैं या नहीं? वे लोग अपने को डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन जितने हथियार मौजूद हैं उन की मौजूदगी में कुछ नहीं कर सकते। जमीन-सुधार तो आप जब करेंगे तब करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार में पारसबीघा में जो जमीन सरकार की पड़ी है, जिस पर पांच बरसों से लैंड-लार्डस ने कब्जा कर रखा था, क्या उस को इमीजिएटली खेत मजदूरों में आप

बांटने के लिए तैयार हैं या नहीं। दूसरे जो बटाई पर जमीन थी जिस को निरंजन सिंह ने हथियाने की कोशिश की क्या उस बटाई की जमीन का जोतने वालों को मालिक बनाने को तैयार हैं या नहीं। और चौथी बात मैं यह पूछना चाहता हू कि आगे हम क्या करेंगे यह तो दूसरी बात है लेकिन अभी उन को संतुष्ट करने के लिये जो उजरत वहां कानून के मुताबिक है उस को दिलाने की गारंटी क्या आप दिलायेंगे? और आप उस उजरत दिलाने के काम को उसी गांव से शुरू करें और सरकारी रेट पर उन को उजरत मिले ताकि दूसरे लोगों पर भी इस का प्रभाव पड़े। मैं यह बातें जानना चाहता हूं और साथ में आप यह भी यकीन दिलायें कि आप किसी आदमी को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे ख्वाह वह आप की पार्टी से ही ताल्लुक क्यों न रखता हो। ऐसा होने पर ही लोगों में भरोसा पैदा होगा कि आप इस सवाल का हल करने के लिये कुछ सीरियस हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाणा: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के साथ सहमत हूं कि इस मामले में कोई आंकड़े देने की जरूरत नहीं है और आंकड़ों से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे तो आंकड़े तब देने पड़े कि जब दूसरे दल से आनरेबिल मेम्बर ने यह कोशिश की आंकड़े दे कर कि इस को पोलिटिकल कलर दिया जाय। नहीं तो मैं आंकड़े देने वाला नहीं था और मैं आंकड़े देता भी नहीं।

आनरेबिल मेम्बर ने दो, तीन सवाल उठाये हैं। उसमें एक जमींदारों और गुंडों के हथियार जब्त करने का सवाल है। हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन्स दिये हैं कि जहां-जहां अन-अथराइज्ड आर्म्स हैं उन को जब्त किया जाय। जिन एरियाज में यह घटनायें घटी हैं वहां लाइसेंसेज को रिव्यू करने के लिये अधिकार दिया है। सरकार की जमीन को बांटने की जो बात है उस के लिये हमारी पार्टी पहले से ही तैयार रही है कि उस को शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को दिया जाय। उस के लिये हम ने रिव्यू भी शुरू कर दिया है। गुजरात में हम ने रिव्यू किया है और दूसरे स्टेट्स में भी हम यह रिव्यू करने वाले है और जहां-जहां गवर्नमेंट की जमीन है उस को 20 प्वाइंट प्रोग्राम के तहत हम ने पहले भी बांटा था और आज भी उसको बांटने वाले हैं। इस में कोई शक नहीं हैं। जमीन का मालिक उन को बनाने की बात का जहां तक ताल्लुक है उस के बारे में हमने कहा है कि जो जमीन हम बांटेंगे उस जमीन का मालिक उन लोगों को बनायेंगे। उन का लास्ट सवाल मैं सुन नहीं पाया।

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया): जवाब आ गया है सब बातों का।

श्री हरकिशन सिंह सुरजीत: किसी को आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे भले ही वह आप की पार्टी से ताल्लुक रखता हो।

श्री योगेन्द्र मकवाणा: इस के बारे में मैंने पहले ही कह दिया है।

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य: उपसभाध्यक्ष जी, सब से पहले तो मैं कालिंग अटेंशन मोशन की भाषा पर ही आपत्ति करना चाहूंगा। इस सदन में देख रहा हूं कि पिछले तीन वर्ष से एक अजीब परंपरा पड़ती चली आ रही है कालिंग अटेंशन मोशन को ले कर। भाषा कुछ होती है, बना

[श्री बुद्ध प्रिय मौर्य]

कुछ दी जाती है और अगर भाषा कुछ बनायी जाय तोड़-मरोड़ कर तो जितने भी माननीय सदस्यों का कालिंग अटेंशन मोशन स्वीकृत हुआ है उन सब की भाषा का सारांश उस में आ जाना चाहिये, क्योंकि श्रीमन् आप देखेंगे कि कालिंग अटेंशन मोशन में नारायणपुर उत्तर प्रदेश वाला आ गया। पारसबीघा बिहार का आ गया। पारसबीघा के बाद दोहिया गांव में छोटी-छोटी बहू बेटियों की, कुवारी कन्याओं की इज्जत लूटी गयी यह नहीं आया और फिर उस के बाद पिपरा आ गया। मैं श्रीमन्, इस के बारे में निवेदन इसलिये करना चाहता हूं कि बहस अधूरी रह जाती है। जिस समय कालिंग अटेंशन मोशन को स्वीकार किया जाये, उस समय इस बात का ध्यान रखा जाये तो इस से बहस में सुविधा रहेगी।

श्री रामानन्द यादव : डोहिया का किसी ने कालिंग अटेंशन नहीं दिया होगा, इसी लिये उस को इंक्लूड नहीं किया गया होगा।

6 P.M.

SHRI HARISHANKER BHABHRA (Rajasthan): How are you to reply?

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : माननीय सदस्य श्री यादव जी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डोहिया गांव के बारे में भी एक काल अटेंशन मोशन में जिक्र है। लेकिन वह नहीं आया। इसलिए श्रीमन्, मैं इस ओर ध्यान खींचना चाहता हूं; क्योंकि फिर जब इस तरह की कालिंग अटेंशन के मोशन की भाषा हो जाती है तब फिर विचारधारा मुड़ जाती है। यह वर्ग संघर्ष चला है लेकिन जानबूझ कर कुछ मित्र उसे जातीयता का रूप दे देते हैं। यह जातीयता का रूप जिस समय आ जाता है उस समय हम दिशा को छोड़ देते हैं, कुदिशा, गलत दिशा में चले जाते हैं।

श्रीमन्, सन् 1962 में मैं पार्लियामेंट में आया। सन् 1962 से लेकर आज तक जब भी अवसर आया मैं एक ही बात कहता रहा और वह यह कि संविधान के आर्टिकल 46, जो डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स का एक आर्टिकल है उसने सरकार को बांधा है, उसने केन्द्र की सरकार को बांधा है।

"The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation."

श्रीमन्, मैं हमेशा इस पर जोर देता रहा। सन् 1962 से लेकर 1974 तक लगातार यह मान्यता रही लोक सभा में भी और राज्य सभा में भी दुर्भाग्य से कि केन्द्र ला एण्ड आर्डर के सवाल पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ला एण्ड आर्डर के प्रश्न को, अमन की व्यवस्था को, शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स और दूसरे शोषित समाज के गरीबों के शोषण से नहीं मिलाया जा सकता। इसके बारे में संविधान में विशेष तौर से यह "स्टेट" शब्द लिखा है। यह 'स्टेट' शब्द श्रीमन्, आप स्वयं ज्ञानी हैं और जानते हैं, यह प्रदेश के लिए नहीं, यह 'स्टेट' शब्द केन्द्र की सरकार के लिए आया है। लेकिन मुझे खुशी हुई कि शैड्यूल्ड कास्ट एण्ड शैड्यूल्ड ट्राइब्स के कमिश्नर की 1978 की रिपोर्ट में उन्होंने यह सिफारिश की है कि जहां तक आर्टिकल 46 का सवाल है, इसका अनादर न हो, इनकी हत्या न हो और शोषित समाज का संरक्षण ठीक तरह से हो, उनकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार हो, उनकी सामाजिक व्यवस्था में सुधार हो, उनकी शिक्षा के क्षेत्र में

विकास हो और कोई उनका शोषण न कर पाये, इसकी जिम्मेदारी केन्द्र पर आती है । अब की बार जो रिपोर्ट शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के कमिश्नर की आई है उसमें उन्होंने यह सिफारिश की है । मुझे विश्वास है कि जब कभी शोषित समाज के ऊपर शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर, देश के किसी भी कोने में कोई अत्याचार हो, उनके घर जलाये जायें, उनका शोषण हो तो इस प्रश्न को लेकर केन्द्र में, इस सदन में और उस सदन में किसी भी माननीय सदस्य को इस प्रश्न के लाने का अधिकार रहेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं ।

श्रीमन्, मैं यहीं पर एक और निवेदन भी कर देना चाहता हूं कि जहां मैं यह प्रार्थना करूंगा कि जाति से इस प्रश्न को न जोड़ा जाए । वहां इस सवाल को पार्टी से भी न जोड़ा जाए । माननीय गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह जी यहां नहीं हैं, नहीं तो मैं बताता कि सन् 1974 में वह स्वयं मुख्य मंत्री थे । अमृतसर जिले के तहसील तरनतारन के एक गांव में बड़े जमींदारों ने हथियारबन्द होकर दिन-दहाड़े चार शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों की जिनमें एक गर्भिणी महिला भी शामिल थी, उनकी हत्या कर दी थी । मेरे पास बहुत से आंकड़े हैं । मैं उनको यहां पर रख कर सदन का समय खराब नहीं करना चाहता हूं । मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि चाहे कांग्रेस का शासन हो, चाहे किसी दल का शासन हो, चाहे जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे फिर माननीया इन्दिरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई हो, इस प्रश्न को दल से नहीं जोड़ा जा सकता । अगर इसको दल से हम जोड़ देंगे तब हम समस्या का हल नहीं निकाल पायेंगे । क्योंकि पिछले 33 वर्षों से शायद ही कोई हिन्दुस्तान का ऐसा सूबा रहा हो, कुछ सूबों को छोड़ कर विशेषकर पश्चिमी बंगाल और केरल जहां यह कहा जा सकता है कि वे अपने सिद्धान्त की प्राप्ति में सफल हुए और वहां पर खेत मजदूरों का इस तरह का शोषण नहीं होता जिस तरह का उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या दूसरे प्रदेशों में होता है । उन्होंने इस क्षेत्र में तरक्की की है यह मैं मानता हूं । जहां प्रगतिशील शासक हैं, उन्होंने खेत मजदूरों के लिये विशेष व्यवस्था की है ।

मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस प्रकार की दूसरी घटनाओं में जाना नहीं चाहता, लेकिन पिपरा गांव की दुर्घटना जिसको लेकर मैंने कालिंग अटेंशन मोशन किया था, मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा । चौधरी चरण सिंह आंकड़े देकर अपनी जिम्मेदारी से हटना चाहें तो वह मैं समझ सकता हूं, माननीय इन्दिरा जी आंकड़े देकर अपनी जिम्मेदारी से हटना चाहें तो भी मैं समझ सकता हूं, लेकिन एक शोषित मां की कोख से जन्मा हुआ मंत्री आंकड़े देकर अपनी जिम्मेदारी से हटना चाहे तो मेरी समझ में बातें नहीं आतीं । मैं उनसे कहता हूं कि आंकड़ों के भ्रम में न पड़ें । आपको पता है आंकड़े देने वाला कौन है । आंकड़े देने वाले वही जमींदार के लड़के, पूंजीपतियों के लड़के हैं जो स्वयं उसमें शामिल हैं । मेरा कहना है कि ये आंकड़े बोगस हैं । मेरा कहना यह है कि इस सरकार को चाहिये कि वह एक हाई पावर कमीशन बैठाये और उसमें ऐसी विचारधारा का कोई इंसान न हो जिसका संबंध जमींदारों से जुड़ा हो । जितनी देर से मैं इस सदन में बोल रहा हूं उतनी देर में इस आजाद हिन्दुस्तान में कई गांवों की शोषित मां की इज्जत लूट ली गई होगी । इतनी देर में कितने ही शोषित सपूतों को मार दिया गया होगा । इतनी देर में कितने ही खेत मजदूरों की हत्या हो गई होगी तो आंकड़ों में न जाइये, आंकड़ों में जाने से कोई हल निकलने वाला नहीं है । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि

[श्री बुध प्रिय मौर्य]

हमें कारणों पर जाना होगा । पिपरा गांव में पांच महिलाओं की हत्या हुई, तीन बच्चे मारे गये । जिनमें एक दो साल का बच्चा था जिसका नाम भी संजय था । यह आप जान सकते हैं कि उस संजय की मां के ऊपर क्या बीती होगी ।

"खिल के गुल कुछ तो
बहारेंजां फिजां दिखला गए,
हसरत उन गुंचों पे है
जो बिन खिले मुरझा गए ।"

हो सकता है इस शोषित मां का सपूत संजय भी राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री बनने की कोशिश करता, लेकिन उस कली को निकलते ही कुचल दिया गया । दो साल के बच्चे की जान ले ली गई । आग लगाई गई, मिट्टी का तेल छिड़का गया । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ अखबारों में ऐसी रिपोर्ट आई है कि करीब 1 लाख 50 हजार गैर कानूनी हथियार जिनमें कि मशीनगन भी शामिल हैं गया जिले के एक सब-डिविजन के अन्दर बताए जाते हैं, मैं पूछना चाहता हूं यह जिम्मेदारी किसकी है । मैं उन हथियारों की बात नहीं कर रहा हूं जिनकी इजाजत आप देते हैं । यह सरकार किस तरह की परम्पराएं चला रही है ? जमींदार अपनी मां की पेट से जमीन नहीं ले कर आया । लेकिन आज सैंकड़ों बीघा जमीन उसके पास है । खेत मजदूरों से गुलामों के तौर पर काम ले सके, उसका शोषण कर सके और अपनी रक्षा के लिये, जमीन की रक्षा के लिये उनका शोषण कर सके और शोषण कर के धन अर्जित कर सके, उसी के लिये यह समाज लाइसेंस रखने का अधिकार देता है । जमींदारों को बन्दूकें दी गई हैं, लेकिन शोषितों को बन्दूकें नहीं दी गई हैं । ऐसी हालत में कोई कितना भी विद्रोह करे, वह कुछ नहीं कर सकता है । हमारे देश में जब शोषित और कमजोर वर्ग के लोग हथियार मांगते हैं तो यह ब्राह्मणिकल और कैपिटलिस्ट सोसायटी, जो पश्चिमी राष्ट्रों की परम्परा पर हमारे देश को चलाना चाहती है, जब शोषित अपनी रक्षा के लिए और अपनी बहिन-बेटियों की रक्षा के लिए हथियार मांगता है उसको कह दिया जाता है कि तुम्हारे पास जमीन नहीं है, तुमको हथियार नहीं मिल सकते हैं । ऐसी बात नहीं है कि हमारे बाजुओं में ताकत नहीं है । लेकिन हमारे हाथ में लाठी है और उनके हाथ में बन्दूक है । हम निहत्थे हैं और उनके हाथ में भाला है, हम खानाबदोश हैं, वे जमींदार हैं । हमारे और उनके बीच में बराबर का मुकाबला नहीं है । इस संबंध में सरकार को कोई व्यवस्था करनी होगी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करने को तैयार है कि किसी भी जमींदार को किसी भी तरह का कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा ? अगर हमारी सरकार इस तरह की कोई व्यवस्था करने को तैयार नहीं है तो फिर इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता है । मैं यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात की व्यवस्था करने के लिए तैयार है या नहीं कि अगर हमारे खेत-मजदूर हथियारों की मांग करते हैं तो आप उनको हथियार देंगे । अगर आप उनको हथियार नहीं देते हैं तो इस देश में शोषितों के शोषण को नहीं रोका जा सकता है । यह सवाल-जवाब, यह कालिंग अटेंशन मोशन, इस हजारों वर्षों की परम्परा को समाप्त नहीं कर सकते

हैं । श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या सरकार ईमानदारी के साथ यह चाहती है कि बिहार के अन्दर लैण्ड रिफार्म्स हों ? अगर आप बिहार की राजनीति को देखें तो आपको पता चलेगा कि पिछले 33 वर्षों में जो भी सत्ता में आया, जमींदार उसी की पार्टी में चले गये । मैं आपको बिहार की बात बता रहा हूं । पिछले 33 वर्षों में चाहे कोई मंडल हो, चाहे कोई स्वर्ण हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, जब भी कोई सरकार बनी है वह उस सरकार में शामिल हो गया । इसी वजह से आप देखेंगे कि आज तक वहां पर लैण्ड रिफार्म्स नहीं हो पाए हैं । बिहार के गांवों में खेत मजदूर जानवरों से भी बदतर जिन्दगी बिता रहे हैं । आप इस स्थिति को देहातों में जा कर खुद देख सकते हैं । मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं । मैं गृह मंत्री जी से सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या वे इस सदन की ओर से इस सदन के माननीय सदस्यों और उस सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनाएंगे जो विशेष तौर पर बिहार के बारे में यह मालूम करे कि वहां पर लैण्ड सीलिंग कानून ठीक तरह से लागू हुआ है या नहीं ? यह कमेटी छः महीने के अन्दर अपनी सिफारिश भेज दे और इस कमेटी में जमींदार या उसका एक भी रिश्तेदार नहीं होना चाहिए और नही बिहार का कोई नेता होना चाहिए । इस कमेटी की सिफारिशें 6 महीने के अन्दर आ जायें और अगले 6 महीने के अन्दर ही उन सिफारिशों को लागू किया जाये । मैं चाहता हूं कि लैण्ड रिफार्म को शैड्यूल 8 में डाला जाय ताकि कोई भी जुडिशियल अधिकारी उस में दखल न दे सके और किसी रिट की आज्ञा भी जमीन के सुधारों में लागू न हो सके । अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि पिपरा काण्ड जैसी कोई घटना नहीं होगी, पारसबीघा जैसी कोई घटना नहीं होगी ।

श्रीमन्, मेरा तीसरा सुझाव यह है कि माननीय गृह मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि पुलिस भी इन लोगों को मारती है । माननीया प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी नारायणपुर गईं । वे पिपरा गांव भी जा सकती थीं, लेकिन शायद वह अपनी कांटिस्टट्यूएन्सी के काम में व्यस्त होने के कारण वे वहां नहीं जा सकीं । उन्होंने गृह मंत्री को आदेश दिया और गृह मंत्री वहां गये । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह खुद देख सकते हैं कि पुलिस में भी जमींदारों के बेटे हैं । ऐसी हालत में मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या आप शोषित समाज की रक्षा के लिए दो साल, तीन साल के अन्दर---पांच साल की बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि पांच साल तक कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है--इसलिए तीन साल की बात मैं करना चाहता हूं कि क्या आप बिहार प्रदेश में पुलिस में 25 सैकड़ा शैड्यूल कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को रखेंगे ? क्या आप 25 सैकड़ा पुलिस थानों के अन्दर इंचार्ज शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइबस के लोगों को रखेंग ? क्या आप 25 सैकड़ा सुपरिटेंडेंट पुलिस के पद और कलेक्टर के पद शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को देंगे ? मैं समझता हूं कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस कालिंग अटेंशन मोशन के द्वारा उनकी रक्षा नहीं हो सकती है । श्रीमन्, मेरा आगे का सुझाव है, यह प्रिवेंटिव मेजर जो है मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं । बहुत से साथियों ने इसका जिक्र किया है ।

[श्री वृद्धप्रिय मौर्य]

लेकिन मैंने एक अखबार में यह भी पढ़ा कि 50-50 रुपया इस हत्याकांड के लिये चंदा इकट्ठा किया गया था । यह काम, हादसा होने के 25 फरवरी से करीब 15 दिन पहले से चल रहा था । 50-50 रुपया इकट्ठा किया गया और वहां के कलेक्टर को इसका पता नहीं चला । अगर पता नहीं चला तो वह कलेक्टर रहने का अधिकारी नहीं और यदि पता चल गया और उसने कोई सुरक्षा नहीं की तब भी वह रहने का अधिकारी नहीं है । क्या वहां के सुपरटिन्डेन्ट आफ पुलिस को इसका पता नहीं चला और अगर नहीं चला तो इस तरह का व्यक्ति जिले का पुलिस अधिकारी रहने के लायक नहीं है । श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में भी गृह मंत्री जानने की कोशिश करें, मालूमात करें कि क्या 50 रुपया चंदा इस तरह से इकट्ठा किया गया था । आपने दरोगा को सजा दे दी, अच्छी बात है । लेकिन दरोगा के साथ-साथ एस०पी० को आपने कोई सजा क्यों नहीं दी, आपने कलेक्टर को कोई सजा क्यों नहीं दी ? आपने उनका तबादला कर दिया । परन्तु तबादला कोई सजा नहीं होती । अगर आप चाहते हैं कि दूसरे जिलों के कलेक्टर और एस० पी० सतर्क हो जायें तो आप उनको सस्पेंड करें, डिसमिस कर दें तब आप देखेंगे कि तमाम लोग सतर्क हो जायेंगे तब आप देखेंगे कि किसी तरह का यहां शोषण नहीं होने पायेगा ।

श्रीमन्, मेरा एक और सुझाव है माननीय गृह मंत्री को कि वे माननीया प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को यह निवेदन जाकर कर दें कि वे एक बड़ी मीटिंग बुलायें जिसमें प्रदेश के मुख्य मंत्रियों को बुलाया जाय । जहां पर मुख्य मंत्री नहीं हैं वहां के गवर्नर को बुलाया जाय । इस मीटिंग को वे केवल एक ही काम के लिये बुलायें और इसका कोई एजेन्डा न हो और विषय हो भारत सरकार और प्रदेश सरकारों के एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए जिससे कि पिपरी जैसी दुर्घटनायें फिर दुबारा न होने पायें । मैं जानना चाहूंगा कि क्या वे ऐसी बैठक बुलायेंगे । यदि इस तरह की बातें वे नहीं कर पाते तो मेरे जैसे आदमी को मजबूर होकर कहना पड़ेगा कि यह सरकार शोषित समाज की रक्षा करने में असमर्थ है । मैंने शोषित मां के पेट से जन्म लिया है । जिस समय मैं दुनिया में आया, उस समय मेरी मां एक बड़ी जमींदार के यहां बगार दे रही थी ; 54 वर्ष पहले एक शोषित मां को जमींदार के यहां बगार देने के लिये मजबूर किया गया था जब कि 9 महीने का गर्भ था । वह मां कितनी बेसहारा थी, कितनी लाचार थी । इसलिये हर शोषित मां, चाहे आप सदन में से निकाल बाहर कर दें, या जेल में डाल दें, हर शोषित मां मुझे अपनी मां लगती है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह सरकार मजबूती से और ईमानदारी से इस बारे में कदम नहीं उठायेगी तो मेरे जैसे लोग जिन्होंने कुछ पढ़-लिख लिया है, जिन्होंने दुनिया को देख लिया है, ऐसे लोग ह्यूमन राइट्स का सहारा लेकर, ऐसे लोग मानवता के आधार पर ह्यूमन राइट्स का सहारा लेकर इसकी आवाज यू० एन० ओ० में उठायेंगे कि यहां पर इंसान इंसान का दमन कर रहा है और भारत सरकार उनकी रक्षा नहीं कर पा रही है । धन्यवाद ।

श्री योगेन्द्र मकवाणा : माननीय उप-सभाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं । उनमें बहुत से ऐसे सुझाव हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं है । हमने उनको नोट कर लिया है । माननीय सदस्य के दो-तीन सवाल हैं । एक तो हथियारों के बारे में माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है । मैंने पहले ही कहा है कि हमने रिव्यू करने को कहना है । फिर मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये इसे पढ़ कर सुना देना चाहता हूं :

"It is necessary to review the arms licences granted in that state and cancel all licences in areas where atrocities have taken place

or the potential for atrocities exists. Simultaneously, areas notorious for illegal manufacture of arms should be combed and this source of supply for committing atrocities completely eliminated."

तो आर्म्स के बारे में हमने यह किया है । लैंड रिफार्म्स के बारे में भी हमने गाइड लाइन्स दी हैं । उसमें हमने जो किया है उसको मैं पढ़कर सुना देना चाहता हूं :

I will read it. "Areas where atrocities have taken place, areas where there is potential for atrocities and areas notorious for illegal arms should be taken up as top-priority areas for immediate implementation of the land ceiling Act and other land reforms measures. Identification release and rehabilitation of bonded labourers, developmental schemes for strengthening the socio-economic condition of the Scheduled Castes and public works schemes to afford them alternative and additional employment opportunities—these measures will help strengthen the victims and potential victims of atrocities and reduce the capability of perpetrators and potential perpetrators of atrocities for engaging musclemen and mobilising arms."

तो इस सब के बारे में हमने गाइड लाइंस दी हैं । लेकिन जो अच्छे सुझाव माननीय सदस्य ने दिये हैं उन पर हम विचार करेंगे ।

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, I am reminded of a historical analogy. It may be nut in a different language. The more we shed tears for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people, the more of them are murdered. That has been perhaps the tradition of this ancient country of ours.

Here, no amount of cruelty, no amount of butchery or no amount of torture on these sections of the people is unprecedented, I should say. Every time we say when any such thing is reported that our heads hang 1199 RS—11.

in shame. But this shame is repeated again and again. What for? Perhaps if we are serious about it, that has to be done into seriously and sincerely. It has been said that this side or that side is trying to use this issue politically. Let the ruling party and also those sitting in the opposition make an introspection whether any of them has refrained from utilising the issue of Scheduled Castes of Scheduled Tribes politically. Did those who are now on the Treasury Benches ever refrain from it during the last-two and a half years? Was it out of genuine concern for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes? By quoting comparative figures Mr. Mak-wana tried to explain it away. I do not know on what provocation he quoted the figures. Eight thousand or six thousand may be less than 10,000 or 13,000. But are not these figures considerable? What happened in 1975 and 1976, during the emergency? These happened during that period when the administration was supposed to be very strict, vigilant and perfect. I came across a report that in the Jui village in Bhiwani district of Haryana, people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Harijans are living in perpetual fear of their lives and 112 Pardhis of Dhok; in Marathwada have been killed and the rest including a baby of 18 months were injured seriously. This has been happening in different parts of our country. Perhaps we could claim West Bengal. Kerala or for that matter Tripura as exceptions where instead of caste war perhaps class struggle has been the order of the day. There the rights of the share-cropper and the right of the landless agricultural labourers have been protected, not by mere legislation, ^buti through economic movements consistently carried out. Now, this question arises: Mr. Mak-wana has read out the directives that have been given to implement the land reforms and to free the bonded labourers. Now, such, I mean, well-meaning directives have never been lacking \n our country. Our country

[Prof. Souieadra Bhattacharjee] is not lacking in good laws, What our country is lacking in is the determined implementation. Rather our laws are not enforced with the intention professed in the preamble to the laws. The fact has been recognised that if the land reforms have to be implemented, they must be backed by a movement of the peasants in whose interest the reforms have to be carried out. If the landless labour, if the agricultural labour, if the poor peasants, cannot be organised, than, Sir, the land reforms will remain a far cry. Because of what? We have seen in all these instances, whether it is at Parasbigha or at Pipra or at Dohiya, the administrative personnel, the police including the constables, the officers, act on caste lines only where , the division is no caste lines. My question to the Minister would be whether the Government has taken into account this aspect, that is, they have formulated some punitive form of action in order to put a stop to this caste-oriented functioning of the members in the law-and-order-enforcing machinery and in the administration and the personnel in charge of land reforms. This has been a bane of our administrative system, our governmental system, and this is a fact Which cannot be gainsaid and it is because of this that a demand has arisen in times of communal riots that in the police department in the PAC, in the CRP, there should be a communal ratio, there should be a ratio on caste lines. This is the sure way of dividing the country and keeping the country divided permanently. I should say from the history of these cases that a feeling has arisen in me that there are vested interests to keep these Scheduled Caste people detached from the mainstream of the population. They are accommodated In separate habitat which cannot be reached or touched by persons belonging to the so-called high-caste people who, in some cases, represent the vested interest, not all, but a selected portion of them. In fact we who oppose apartheid, have practising apartheid in this case. I would like to know whether this is going to be put an end to. My feeltng is that there L a vested interest in maintaining these cases distinctions in perpetuity this distinction, this nomenclature, which is an expression of pity and which is not an expression *0i* equality or equal rights. We are maintaining an ancient society in a forward-looking country where industrialisation is taking place side by side. This ancient society based on the old caste system preached by Manu is being maintained at all costs in order to perpetuate the exploitation both in the agrarian and the industrial fields. If we do not attack it at the base itself, if we perpetuate this social structure, if we do not modernise the society, even if an effort is not made, then, Sir, shedding of tears for the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe people won't solve this problem. This fact has to be recognised and my question to the Minister of State for Home Affairs would be whether, contrary to the record of his party up till n°w, at this juncture, his Government would be prepared to accept this basic thing and take corrective steps to remedy the situation. Otherwise, there is n0 solution to this orgy of caste wars which ultimately lead to the complete disintegration of the country.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Mr. Vice-Chairman, Sir, I entirely agree with the hon. Member. But, unfortunately, the society in this country is caste-oriented and. therefore, we have to take the caste into consideration. Therefore, in the flaw and order and administrative machineries also if there are people from these classes, then the task will be less difficult. So far as the land labourers are concerned, he has rightly, pointed out that only laws will not serve the purpose. Unless we organise them, and organise the labour force, to enforce their rights, the land legislation cannot be implemented in the rural centres. I appreciate the suggestions which he has given.